जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

डिस्कॉम के दो अभियन्ता निलम्बित

जयपुर, 01 जुलाई। जयपुर डिस्कॉम में कार्यरत एक अधिशाषी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता को कार्य में अनियमितता बरतने के कारण तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री अनिल कुमार बोहरा ने बताया कि कार्य में अनियमितता, कार्य की गुणवत्ता एवं भौतिक सत्यापन के बिना ठेकेदारों के बिल पास करने के कारण प्राथमिक जांच में दोषी पाए जाने पर अधिशाषी अभियन्ता (पवस) दौसा के पद पर कार्यरत एन.आर.बैरवा तथा सहायक अभियन्ता (ए–प्रथम) दौसा के पद पर कार्यरत डी.के.गर्ग को निलम्बित किया गया है।

उन्होंने बताया कि निलम्बन काल में दोनों अभियन्ताओं का मुख्यालय संभागीय मुख्य अभियन्ता कोटा के कार्यालय में रहेगा। इसके साथ ही श्री बोहरा ने यह भी बताया कि मामले की विस्तृत जांच करवाई जा रही है तथा इसमें और भी कोई दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

————————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 401/2016